न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2021 (उदयपुर आर्डर)

1. डालचन्द पिता रूपलाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. ओमप्रकाश पिता रूपलाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती धनीबाई बेवा रूपलाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रतनीबाई पत्नी पिता डालचन्द बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. बाबूलाल पिता मेघराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. जमनालाल पिता मेघराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी मेघराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती कालीबाई पिता रूपलाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती तुलसीबाई पिता रूपलाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती लीलाबाई पिता रूपलाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती पुश्पाबाई पिता रूपलाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. हेमराज पिता धनराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

6. श्रीमती सीताबाई पिता धनराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती कमलाबाई पिता धनराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती केसरबाई पिता धनराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. हमेरा पिता गणे ालाल बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती गीताबाई पिता मेघराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती डालीबाई पिता मेघराज बलाई (मेघवाल), निवासी लियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
12. तहसीलदार बड़गांव, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव दिनांक
10.02.2021 प्रकरण संख्या 348/19

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक रे.सं. 1 से 5
3— श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय दिनांक 12—10—2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वाराएक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बड़ी में आराजी नंबर 1068 से 1072 कुल किता 5 रकबा 0.4700 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का 6/30 हिस्सा है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 5 से 8 का 2/5, प्रार्थी संख्या 4 का 1/5, प्रार्थी संख्या 5 से 7 एवं विपक्षी संख्या 10 व 11 का 6/30 हिस्सा है। बिना विभाजन के कोई भी प्रकार तो उक्त जमीन पर कोई निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

कर सकता है, न ही किसी पर्टिकुलर भाग को बेच सकता है एवं न ही रूपान्तरण करवा सकता है, परन्तु हमेरा पिता गणे ा जो इस मामले में विपक्षी संख्या 9 है द्वारा जबरन मकान का निर्माण कराना चाह रहा है, जिससे उसे रोका जाना आव यक है। अतः ताफैसला वाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10–02–2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के पक्ष में पहले स्थगन दिया, किन्तु बाद में खारिज कर दिया। विवादित भूमि का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुए है तथा विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निशेघाज्ञा अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की जानी आव यक है ताकि प्रकरण में और अधिक विवाद उत्पन्न न हो, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 516, आर.बी. जे. 2002 पेज 47, आर.बी.जे. 1999 पेज 377, आर.आर.डी. 1995 पेज 764, आर.बी.जे. 2010 पेज 178 व आर.बी.जे. 2000 पेज 483 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजियात का 60 वर्श पूर्व मौखिक बंटवारा होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपी रिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन कर वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने आदे ा दिनांक 08–05–2019 से अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निशेधाज्ञा के तीनों बिन्दु मानते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदे ा दिये हैं, किन्तु बाद में अपने निर्णय दिनांक 10–02–2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि होने से प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है, जो प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध भी अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की जा सकती है। विवादित भूमि पक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज है, किन्तु अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है एवं अपीलान्टगण का विभाजन एवं स्थायी निशेधाज्ञा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों में मध्य और अधिक विवाद को रोकने के लिए प्रकरण में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निशेधाज्ञा जारी किया जाना हम उचित समझते हैं। किस पक्षकार के हिस्से में कौन सी भूमि रहेगी इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नहीं किया है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10–02–2021 अपास्त जाता है तथा ताफैसला मूलवाद रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करें तथा भूमि के किसी पर्टिकुलर भाग का हस्तान्तरण नहीं करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested